14.12.2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.।
अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रा.पत्र दिनांक 29.10.2021
में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में
निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा हस्तगत
अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2008 के विरुद्ध
न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 08.09.2021
को पेश की गई। जिसमें रेस्पो. संख्या 05
पांचाराम पुत्र भजनाराम को पक्षकार बनाते
हुए पेश की गई जबकि उक्त रेस्पो. संख्या

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	05 पांचाराम पुत्र भजनाराम की पत्रावली पर पेश मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार दिनांक 12.03.2014 को मृत्यु हो गई। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा मृत व्यक्ति को रेस्पा. पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की गयी है, जो nullity शून्य प्रभाव वाली है। अत: प्रारंभिक आपत्ति के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे। रेस्पा. अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :- RRT 2012(1) Page-189, RRT 2016-17(Supp.) Page-319 अपीलांटगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.10.2021 का लिखित जवाब पेश किया जिसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि उत्तरदाता संख्या 5 को लिपिकिय त्रुटि से पक्षकार संयोजित किया गया है जो की एक मानवीय भूल है तथा अपील वर्तमान में प्रारम्भिक स्तर पर ही विचाराधीन है तथा अपीलांटगण की ओर से उत्तरदाता संख्या 05 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय संशोधित शीर्षक साथ पेश किया जा रहा है। उत्तरदाता संख्या 5 के अलावा भी रेस्पो. पक्षकार है इस कारण अपील को अबेट नहीं किया जा सकता। अत: रेस्पो. द्वारा	

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

P.T.O.

पेश उपरोक्त प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.10.2021 पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो. संख्या 05 पांचाराम पुत्र भजनाराम का स्वर्गवास दिनांक 12.03.2014 (पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति के अनुसार) को हो चुका है। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2008 के विरुद्ध रेस्पो. संख्या 5 को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 08.09.2021 को पेश की गई। योग्य अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2012(2) Page 189 पेश किया जो हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील शून्य प्रभावी (Nullity) है। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति को रेस्पो. पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत की गयी है, जो (Nullity) शून्य प्रभाव वाली है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लिहाजा रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2021 को स्वीकार किया जाकर अपीलांटगणों की ओर से प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत होने से खारिज की जाती है। पत्रावली कैफियत शुमार नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे इजलास सुनाया गया। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ भिजवाई जावे।	
	राजस्व अपील अधिकारी जालोर	